Annexure No 1

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in, Ph.No. 07632-241683

।। आदेश ।।

क्रमांक / /खनिज/बाला0/17, बालाघाट दिनांक / /2017

यह कि खनिपट्टाधारक श्री एम.के. मिनरल्स प्रो. एम.एल. कावले निवासी ग्राम सुकली तह. तिरोडी जिला बालाघाट के पक्ष मे जिला बालाघाट तहसील तिरोडी ग्राम कोयलारी के खसरा क्रमांक 27 भाग, रकबा 20.00 एकड़ (8.100हे.) क्षेत्र, खनिज डोलोमाईट का खनिपट्टा अनुबंधित अवधि (06.06.1975 से 05.06.1995 तक) अवधि 20 (बीस) वर्ष के लिये स्वीकृत था। जो विभागीय आदेश क्रमांक 3–58/75/12 दिनांक 20.05.1975 से स्वीकृत किया गया था।

आवेदक द्वारा खनिपट्टाधारी श्री एम.एल. कावले का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर वारसानों द्वारा जारी जनरल पॉवर आफ अटार्नी के अनुसार, श्री शैलेन्द्र कुमार माधवराव कावले को अधिकृत किया गया है। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र वारसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही निर्धारित चेक लिस्ट के संबंध मे शपथ पत्र प्रस्तुत कर खदान संचालन के लिए निवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम नवकरण आवेदन पत्र दिनांक 03.06.1994 को प्रस्तुत किया गया था।

अवर सचिव म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल का आदेश पत्र क्रमांक एफ 19–5/2015/12/1 भोपाल दिनांक 02.07.2015 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 से अधिसूचित किये गये गौण खनिज के पूर्व स्वीकृत खनिपट्टे की अवधि वृद्धि के संबंध मे दिये गये निर्देश दिनांक 12.03.2015 के तहत् कार्यवाही नही किये जाने के फलस्वरूप अधिसूचित गौण खनिज दिनांक 12.01.2015 को मुख्य खनिज थे। तदनुसार राज्य शासन के निर्देश दिनांक 12.03.2015 के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

अवर सचिव, म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक एफ–19–5/2015/12–1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8–ए(6) मे प्रावधानित है कि जहां खनिज का उपयोग केप्टिव प्रयोजन के अलावा भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, उनकी अवधि 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत नवकरण की अवधि पूर्ण होने या मूल स्वीकृति से 50 वर्ष इनमें से जो भी बाद में हो, तक पट्टा शर्तो के पालन किये जाने की स्थिति में मान्य किया जाना है। अधिनियम 1957 की धारा 8(ए)(5) एवं 8(ए)(6) के अधीन खनिपट्टो की अवधि बढाये जाने प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों के अनुक्रम में श्री एम.के. मिनरल्स प्रो. शैलेन्द्र कुमार माधवराव कावले निवासी वार्ड नं. 28 स्नेह नगर बालाघाट को स्वीकृत उक्त खनिपट्टा नान केप्टिव खदान की अवधि दिनांक 06.06.1995 से 05.06.2025 तक विस्तारित (Extended) की जाती है।

अतः खनिपट्टे की उक्त विस्तारित अवधि के लिए नियमानुसार देय स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना की जाकर पूरक अनुबंध निष्पादित कराया जाये। स्टाम्प डियूटी एवं पंजीयन शुल्क की गणना का आधार क्या होगा इस हेतु विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ–19–5/2015/12/1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 के अनुसार होगी।

खनिपट्टे की विस्तारित अवधि के दौरान खनिपट्टाधारी श्री एम.के. मिनरल्स प्रो. शैलेन्द्र कुमार माधवराव कावले निवासी वार्ड नं. 28 स्नेह नगर बालाघाट खनिपट्टा क्षेत्र मे समस्त नियम/प्रावधानों का पालन करना होगा एवं समस्त आवश्यक/वांछित अनुमतियॉ/अनुबंध निष्पादन के पूर्व बकाया नही प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही खनिपट्टे का अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही की जावे।

सही/-

COLLECTOR
कलेक्टर

पृ0 कमांक / 1312-ए / खनिज / बाला0 / 17 बालाघाट दिनांक 16 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :–

1) सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2) सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)।

3) महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स नागपुर (महॉ.)।

4) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29–ए, अरेरा हिल्स खनिज भवन भोपाल (म.प्र.)।

5) मेसर्स श्री एम.के. मिनरल्स प्रो. शैलेन्द्र कुमार माधवराव कावले निवासी वार्ड नं. 28 स्नेह नगर बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6) गार्ड फाईल।

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म0प्र0)